कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 05/05/2021

आज दिनांक 05.05.2021 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी व जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा उद्योग व व्यापार प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में डिविजनल कमिश्नर श्री दीपक अग्रवाल, अपर पुलिस आयुक्त (मुख्यालय एवं अपराध), अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस उपायुक्त वरूणा जोन व अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात) तथा महानगर उद्योग व्यापार समिति के संरक्षक श्री नारायण खेमका जी, अध्यक्ष श्री प्रेम मिश्रा, महामंत्री श्री अशोक जायसवाल व श्री राजेन्द्र गोयनका राष्ट्रीय सचिव फेडरेशन ऑफ ऑल इण्डिया व्यापार मण्डल, इंडियन इंडस्ट्री के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आर. के. चौधरी, वर्चुवल संवाद के संचालक राजेश भाटिया व अन्य सदस्यगण मौजूद रहे।

उक्त बैठक में पुलिस आयुक्त द्वारा समस्त व्यापारी बन्धुओं से अनुरोध किया गया कि शासन द्वारा निर्गत कोविड-19 की गाइडलाइन्स का कड़ाई से पालन करना/कराना सुनिश्चित किया जाये व आश्वासन दिया गया कि किसी भी प्रकार से व्यापारियों के साथ पुलिस द्वारा उत्पीड़न नहीं किया जायेगा। पुलिस कमिश्नर वाराणसी द्वारा यह बताया गया कि इस महामारी के समय में कालाबाजारी ना होने दें, अगर कोई कर रहा है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। डिविजनल कमिश्नर श्री दीपक अग्रवाल ने हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया और कहा कि पिछले वर्ष जिस प्रकार व्यापारी वर्ग द्वारा सहयोग किया गया था, इस वर्ष भी व्यापारियों द्वारा समाज की मदद अपेक्षित है तथा अन्य कई बहुमूल्य निर्देश भी दिये। इंडियन इंडस्ट्री के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आर. के. चौधरी ने महामारी काल के दौरान पहल करते हुए बड़ी धनराशि का दान देकर ऑक्सीजन प्लांट लगवाया गया, जो कि एक सराहनीय कदम है। जिलाधिकारी वाराणसी ने जिला प्रशासन की ओर से हर संभव मदद करने का संकल्प लिया तथा अन्य उपस्थित सभी अधिकारियों ने जनता की मदद के लिए अपनी पूरी

ताकत लगा देने का वादा किया। अध्यक्ष प्रेम मिश्रा ने अपील की कि एक **"कोरोना जन निगरानी समिति"** का गठन किया जाये, जिसमें अधिकारियों के साथ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की भी पूर्ण रूप से सहभागिता हो। इस निगरानी समिति में शहर के वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम भी सम्मिलित की जाये, जो समय-समय पर उचित मार्गदर्शन दें। व्यापारियों ने अधिकारीगणों से निवेदन किया कि शहर में ऐसे हॉस्पिटलों को तत्काल कोविड हॉस्पिटल से मुक्त किया जाए जो जनता को लूटने का काम कर रहे हैं और जांच कराकर उनका लाइसेंस भी रद्द किया जाए। अवसर तलाश करने वाले जो भी व्यापारी वर्ग कालाबाजारी कर रहे हैं और गलत पैसा वसूल कर रहे हैं, व्यापार मंडल उनको अपनी सदस्यता से बर्खास्त भी कर देगा और व्यापार मंडल उन व्यापारियों का कोई भी सहयोग नहीं करेगा। सभी वक्ताओं ने अधिकारीगण को आश्वस्त किया कि जिस चीज (ऑक्सीजन सिलेण्डर, दवाईयां, ऑक्सीमीटर व अन्य) की भी आवश्यकता होगी उसे व्यापार मण्डल आवश्यकतानुसार शासन को उपलब्ध करायेगा। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष गोकुल शर्मा, मीडिया प्रभारी रजनीश कन्नौजीया ने भी "कोरोना जन निगरानी समिति" को आवश्यक बताया। अजय गुप्ता, दी स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मनीष कटारिया, हर्षद तन्ना, प्रशांत अग्रवाल, अंजनी मिश्रा इत्यादि भी बैठक में उपस्थित थे। कार्यक्रम का कुशल संचालन राष्ट्रीय सचिव श्री राजेश भाटिया व दी स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अनुपम देवा ने किया।

इसके साथ ही संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा भी कई बहुमुल्य सुझाव दिये गये जिस पर शीघ्र अमल किया जायेगा। इस स्वागत योग्य निर्णय का पुलिस कमिश्नर द्वारा हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।